LEAGUE OF NATIONS-2

[redacted]

BY:ARUN KUMAR RAI

ASST.PROFESSOR

P.G.DEPT.OF HISTORY

MAHARAJA COLLEGE

ARA.

राष्ट्र संघ के अंग

- **असेंबली(Assembly):** यह राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था थी। इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य 3 प्रतिनिधि तक भेज सकता था परंतु प्रत्येक राज्य को एक ही वोट देने का अधिकार था। वर्ष में इसका एक बार अधिवेशन होता था जो 3 सप्ताह तक चलता था।इसके समस्त निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे।
- **कार्य:1**. विश्व शांति को प्रभावित करने वाले विषयों पर विचार करना ।

राष्ट्र संघ के अंग

- 2. दो तिहाई बहुमत से संघ का सदस्य बनाना
- 3. बजट पारित करना
- 4. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करना
- 5. काउंसिल के अस्थाई सदस्यों, सभापति तथा आठ उपसभापतियों का चुनाव करना

राष्ट्र संघ के अंग

- **<u>परिषद् (Council) :</u>**यह राष्ट्र संघ की संघ की कार्यकारिणी थी
- 2. इसके एक वर्ष में प्राय: 3 अधिवेशन होते थे
- 3. इसके स्थाई सदस्यों की संख्या 5 थी जिसमें अमेरिका ,इंग्लैंड ,फ्रांस, इटली ,तथा जापान शामिल थे, किंतु अमेरिका इस में सम्मिलित नहीं हुआ अतः स्थाई सदस्यों की संख्या 4 ही रह गयी।
- 4. अस्थायी की संख्या आरंभ में 4 थी जो कालांतर में बढ़कर 11 हो गई
- इसके एक तिहाई सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था।

राष्ट्र संघ के अंग

- **<u>कार्य</u>:1.** यह राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य को समझौते की अवहेलना करने पर राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित कर सकता था
- 2. यह आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय करता
- 3. अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के समाधान करने का दायित्व भी इसी पर था
- 4. सार प्रदेश तथा डैंजिग के स्वतंत्र नगर का शासन प्रबंध करने का दायित्व था।

राष्ट्र संघ के अंग

- 5. मैण्डेट संबंधी राष्ट्रों की रिपोर्ट पर विचार करना
- 6. अस्त्र शस्त्रों को कम करना तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का भी दायित्व इसी के ऊपर था।

राष्ट्र संघ के अंग

- **<u>सचिवालय(Secretariat)</u>**: इसका प्रधान कार्यालय ***जिनेवा*** में था। इसका मुख्य अधिकारी ***महासचिव*** होता था जो सभा और परिषद का भी महासचिव होता था। इसकी नियुक्ति कौंसिल द्वारा होती थी।
- सचिवालय में 50 देशों के लगभग 750 सदस्य कार्य करते थे।
- इसके सदस्य विभिन्न कार्य करने के लिए 11 विभागों में बटे हुए थे।

राष्ट्र संघ के अंग

- **कार्य:**1. एसेम्बली तथा काउंसिल में विचार करने के लिए कार्यों की सूची तैयार करना ।
- **2.** बैठक के कार्यों को लिपिबद्ध करना
- 3. राष्ट्रों के बीच हुए संधियों तथा समझौते का प्रकाशन करना

राष्ट्र संघ के अंग

- **<u>अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय</u>(Permanent Court of International Justice):** 20 दिसंबर 1920 को ***हेग*** में इस न्यायालय की स्थापना की गई।
- आरम्भ में जजों की संख्या 11 थी किंतु 1931 में इसकी संख्या 15 कर दी गयी।
- इनका कार्यकाल 9 वर्ष का था।

राष्ट्र संघ के अंग

- **कार्य-**1. विभिन्न देशों के पारस्परिक झगड़ों पर कानूनी राय देना
- **2.** विभिन्न संधियों तथा समझौते की व्याख्या करना
- 3. अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के संबंध में असेंबली तथा परिषद को सलाह देना।

राष्ट्र संघ के अंग

- स्थाई न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो प्रकार का था-
  1.ऐच्छिक 2.आवश्यक
- **ऐच्छिक क्षेत्राधिकार**- जिस समय दो या दो से अधिक राष्ट्र अपना विवाद निर्णय के लिए न्यायालय के सम्मुख रखता था तो यह ऐच्छिक क्षेत्राधिकार कहलाता था।
- **आवश्यक क्षेत्राधिकार**- कुछ राष्ट्रों ने सदस्य होते समय अपने झगड़ों का न्यायालय से निर्णय कराने की प्रतिज्ञा की थी ।यह आवश्यक क्षेत्राधिकार कहलाता था।

राष्ट्र संघ के अंग

- **<u>अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ(I.L.O.)</u>**- यह एक पूर्ण स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था
- राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हो सकते थे।
- इसका मुख्य कार्यालय ***जिनेवा*** में था। 1940 में इस कार्यालय ने अपना एक अस्थाई कार्यालय मॉन्ट्रियल में भी स्थापित किया।

राष्ट्र संघ के अंग

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी करने वाले पुरुषों,स्त्रियों तथा बच्चों के उचित तथा मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न करना था
- यह औद्योगिक जीवन और श्रमिकों के बारे में सब प्रकार के सूचनाएं इकट्ठी करता था।

राष्ट्र संघ की सफलताएँ

- सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लीग ने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की।इसने स्त्री, पुरुष और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने का प्रयास किया ।मजदूरों की दशा सुधारने ,अफीम आदि जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण, टी.बी ,मलेरिया ,चेचक कॉलरा आदि भयंकर रोगों के प्रसार रोकने के लिए कार्य किया।

राष्ट्र संघ की सफलताएँ

- युद्ध से पीड़ित 15 लाख यूनानी तथा 30 हजार बुल्गारिया को बसाने की व्यवस्था की
- विभिन्न 36 देशों के लगभग चार लाख युद्ध बंदियों को उनके घर पहुंचने में मदद की
- राष्ट्र संघ ने आर्थिक पुनर्निर्माण विशेषकर Austria तथा हंगरी के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अच्छा कार्य किया।

राष्ट्र संघ की सफलताएं

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने कार्यकाल में एकंघ को पर्याप्त सफलता मिली ।राष्ट्र संघ की देखरेख में वहां जनमत संग्रह हुआ और उसके अनुसार मार्च 1935 में सार का शासन प्रबंध जर्मनी को दे दिया गया।
- राष्ट्र संघ ने जर्मनी तथा तुर्की आदि के विभिन्न उपनिवेश विभिन्न राष्ट्रों को मैंडेट पद्धति के रूप में बांट दिए थे उन राष्ट्र को अपने शासन के रिपोर्ट प्रतिवर्ष काउंसिल को देनी होती थी।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने कार्यकाल में 31 विवादों के संबंध में अपने निर्णय तथा 27 मामलों में अपनी परामर्श दिए थे।

राष्ट्र संघ की सफलताएँ

- सन 1921 में आलैंड के स्वामित्व के संबंध में स्वीडन तथा फिनलैंड के मध्य विवाद खड़ा हो गया इस पर राष्ट्र संघ ने इसे फिनलैंड को दिला दिया
- 1921 में यूनान तथा युगोस्लाविया के मध्य अल्बानिया की सीमा के संबंध में विवाद खड़ा हो गया परंतु राष्ट्र संघ ने वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण   समाधान कर दिया
- 1925 में यूनान तथा बुल्गारिया के मध्य सीमा के संबंध में युद्ध प्रारंभ हो गया परंतु राष्ट्र संघ ने अपने प्रयास से युद्ध बंद करा कर दोनों में समझौता करा दिया।

राष्ट्र संघ की सफलताएं

- 1922 में पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के मध्य सीमा संबंधी झगड़ा प्रारंभ हो गया परंतु राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किए हुए कमीशन ने सीमा निर्धारित कर दोनों में समझौता करा दिया।
- 1923 में हंगरी तथा रोमानिया के मध्य झगड़ा हो गया परंतु राष्ट्र संघ ने शांतिपूर्ण ढ़ग से समस्या का समाधान करा दिया।

राष्ट्र संघ की असफलताएँ

- राष्ट्र संघ को सफलता छोटे-छोटे देशों के संबंध में ही मिली। बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों के ऊपर वह अंकुश लगाने में सफल ना हो सका उसे निम्नलिखित मामलों में असफलताएं हाथ लगी:

1. विलना विवाद(1920)
2. कार्फ्यू विवाद(1923)
3. मंचूरिया संकट(1931)

राष्ट्र संघ की असफलताएँ

4. ग्रीन चेको विवाद(1928)
5. अबीसीनिया युद्ध(Oct.1935)
6. चीन -जापान युद्ध(1937)
7. स्पेन का गृह युद्ध(1937)
8. रूसी-फिनलैंड युद्ध(Nov.1939)

To be Contd......